राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 186/2010/बूंदी

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, कोटा।

.....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स बालाजी ओवरसीज,
बूंदी।

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री सुनील शर्मा– सदस्य
श्री अमर सिंह– सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक
श्री एम.एल.पाटौदी,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 21/01/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 10/वेट/2008–09/बूंदी में पारित किये गये निर्णय दिनांक 29.07.2009 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी धान (पैडी) की प्रोसेसिंग कर देश के बाहर चावल का निर्यात करता है। सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन कोटा (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) ने दिनांक 19.03.2009 को धारा 25 4(2), 55, 58 व 61 के तहत आदेश पारित करते हुए व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में राज्य में पैडी घोषणा पत्र वैट–15 पर खरीद कर राइस ब्रान का रू. 93,59,198/– (जिसमें राज्य में आढ़त पर बिक्री रू. 5,19,435/– शामिल है) की बिक्री कन्साईनमेन्ट बेसिस पर राज्य के बाहर की है जिस पर राज्य में या अन्तर्राज्यीय व्यवहार में कोई कर अदा नहीं किया गया है। अतः सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त वैट–15 पर राज्य में खरीदी गयी पैडी की कीमत रू. 1,93,32,360/– मानते हुए उस पर वैट एक्ट की धारा 4(2) के तहत क्रय कर रू. 7,73,294/– आरोपित किया है तथा इस क्रय कर को करापवंचन की मंशा से न चुकाने के कारण धारा 61 के तहत शास्ति रू. 15,46,588/– आरोपित की गई है। साथ ही कर न चुकाने के कारण धारा 55 के तहत ब्याज रू. 2,01,058/– आरोपित किया है। इस प्रकार कुल मांग रूपये 25,20,940/– सृजित की गयी। उक्त आदश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी जिस पर

लगातार.....2

अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 29.07.2009 से अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए राईसब्रान के उत्पादन का 3.7 प्रतिशत मानकर कुल पेडी वजन 129400.18 में से राईसब्रान उत्पादन 4878 क्विंटल मानकर Consingment basis पर भेजे गये माल में 7046.25 क्विंटल पेडी पर 1245/– भाव से रूपये 8,77,258/– पर क्रयकर का दायित्व स्वीकार किया गया तथा शेष कर को अपास्त कर दिया। इस प्रकार क्रय कर रूपये 3,50,903/– व ब्याज रूपये 91,270/– को यथावत रखते हुये शेष कर, ब्याज व पूरी शास्ति को अपास्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अनुचित व अवैधानिक है। कुल रूपये 20,78,767/– की मांग अपास्त की गयी है। उन्होंने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार व रिकार्ड के पेडी से राईसब्रान का अनुपात माना है। कर निर्धारण अधिकारी ने यह अनुपात 12 प्रतिशत माना है जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे 3.7 प्रतिशत माना गया है। जो पूर्णतया गलत तथ्यों पर आधारित है। अतः अपीलीय आदेश आधारहीन व अनुचित है। श्री पोखरणा ने आगे कथन किया कि जब प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा Consigament Sale की है तथा क्रय कर नहीं चुकाया है तो शास्ति देय बनती है। क्रय कर नहीं चुकाने की गलती वह स्वीकार कर चुका है फिर शास्ति देय बनती है। जिसे अपास्त करने में भूल की है। अतः विभाग की अपील को स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने के लिए निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि श्री एम.एल.पाटौदी ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने लेखा पुस्तकों के आधार पर उत्पादन का अनुपात माना है जो उचित है। साथ ही उन्होंने शास्ति के बिन्दु पर कथन किया कि समस्त तथ्य लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा कुछ भी छुपाया नहीं गया है। अतः शास्ति देय नहीं है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया :–

1. IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJSATHAN AT JODHPUR BENCH S.B. Civil Sales Tax Revision Petition No. 193 and 194/2009 CTO (A-E), Sriganganagar V/s M/s Durgeshwari Food Ltd., Sriganganagar Date 08-12-2011

लगातार.....3

2. [2010] 322 ITR 158 (SC) [In the Supreme Court of India]
   COMMISSIONER OF INCOME TAX V/s RELIANCE PETROPRODUCTS PVT. LTD. March 17, 2010
3. [2010] 322 ITR 167 (Raj.) [In the Rajasthan High Court]
   SHRI SARDARMAL SANCHETI CHARITABLE TRUST V/s UNION OF INDIA AND OTHERS November 21, 2008
4. टैक्स अपडेट वोल्यूम 32 पार्ट VII राजस्थान कर बोर्ड अजमेर, अपील संख्या 2128/2011/जोधपुर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–डी, जोधपुर बनाम मैसर्स निराली ढाणी (धूत रिसोट्स), चौपासनी रोड़, जोधपुर एवं अपील संख्या 60/2012/जोधपुर मैसर्स निराली ढ़ाणी (धूत रिसोट्स), चौपासनी रोड़, जोधपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–चतुर्थ, वृत्त–डी, जोधपुर निर्णय दिनांक 21.05.2012
5. [2011] 40 PHT 28 (S.C) [In Supreme Court of India]
   Civil Appeal No. 5870 of 2005 Uniflex Cables Ltd. V/s Commissioner, Central Excise, Surat Decided Date 24-08-2011
6. [2011] 40 PHT 31 (P&H) PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, CHANDIGARH C.W.P. NO. 14386 of 2011 (O&M) M/s Azad Pipes Pvt. Ltd. V/s The State of Punjab and others Decided Date 12-08-2011
7. [2009] 23 VST 249 (S.C) [In Supreme Court of India]
   SHREE KRISHNA ELECTRICALS V/s STATE OF TAMIL NADU AND ANOTHER Date 21-04-2009
8. . [2009] 23 VST 251 (Gauhati) [In The Gauhati High Court]
   NOVA TRADING PVT. LTD. V/s STATE OF ASSAM AND ANOTHER Date 16-12-2008
9. [2008] 32 PHT 491 (P&H) PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT, CHANDIGARH
   VAT APPEAL NO. 10 of 2007 Dasu Ram Nautan Dass V/s State of Punjab & another Decided Date 25-08-2008
10. [2008] 31 PHT 494 (HTT) HARYANA TAX TRIBUNAL, CHANDIGARH STA NO. 353 and 354 of 2002-03 Carrier Aircon Limited, Gurgaon (West) V/s State of Haryana Decided Date 23-04-2008

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। यहा यह तथ्य तो दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि राईसब्रान को Consigment sale की गयी है तथा उस पर क्रय कर नहीं चुकाया गया है। चूंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा पेडी फार्म वैट–15 पर बिना कोई कर चुकाये क्रय की गयी है अतः यदि Consigment sale की जाती है तो उस पर क्रय कर धारा 4(2) के तहत देय है। जो विवाद है वह पेडी से उत्पादन

लगातार.....4

पर चावल व राईसब्रान के अनुपात का है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पेडी से राईसब्रान का निर्माण 12 प्रतिशत माना है जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा 3.7 प्रतिशत माना है। परन्तु दोनों के द्वारा इसे मानने का कोई आधार नहीं बताया है। जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के उत्पादन की अन्य उत्पादनकर्ताओं के अनुपात का अध्ययन कर तुलना कर कोई निर्णय करना चाहिये था।

उक्त अनुपात के आधार पर ही क्रय कर का दायित्व का उचित रूप से निर्धारण किया जा सकता है। अतः प्रकरण में इस तथ्य की जांच करने हेतु निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रषित किया जाना उचित होगा। कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वह प्रत्यर्थी व्यवहारी के आगे व पीछे के वर्षों के उत्पादन अनुपात का अध्ययन करे तथा अन्य चावल निर्माताओं द्वारा सामान्यता जो अनुपात घोषित किया जाता है उसका अध्ययन करे तत्पश्चात् क्रय कर का दायित्व तदानुसार पुनः निर्धारण करे। क्रय कर पर ब्याज की देयता का निर्धारण गणनानुसार किय जावें। जहां तक शास्ति का प्रश्न है चूंकि समस्त तथ्य लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा पूर्णतया घोषित किये गये है अतः उद्धरित उपायुक्त (अपील्स) द्वारा न्यायिक निर्णयों के प्रकाश में शास्ति उचित रूप से अपास्त की गयी है। अतः शास्ति के उद्धरित बिन्दु पर विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है तथा क्रय कर एवं ब्याज के बिन्दु पर विभाग की अपील को स्वीकार कर प्रकरण पुनः कर निर्धारण हेतु उपरोक्त निर्देशनुसार निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. फलतः विभाग की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(अमर सिंह) 31-1-14
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य